अपने अधिकार जानें

बंधुआ मजदूर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

बंधुआ मजदूरी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग,

नई दिल्ली–110001

अपने अधिकार जानें श्रृंखला

बंधुआ मजदूरी

इस प्रकाशन का उद्देश्य, मूल मानव अधिकारों को बेहतर रूप से समझने में पाठकों की सहायता करना है।

© 2013 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

प्रकाशक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

प्रिंटर्स : डॉलफिन प्रिंटों–ग्राफिक्स
011–23593541 / 42
www.dolphinprintographics.com

बंधुआ मजदूरी

हमारे देश के विभिन्न भागों में आज भी ऐसी प्रथा मौजूद है जिसमें किसी कर्जदार अथवा उसके वंशजों को कर्ज अदा करने के लिए साहूकार के परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य के साथ बाजार की दर से मजदूरी अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के बिना एक निर्धारित अथवा बिना किसी निर्धारित अवधि तक काम करना पड़ता है। इस पद्धति की शुरूआत असमान सामाजिक ढाँचे से हुई जिसमें सामंतवादी तथा अर्द्धसामंतवादी परिस्थितियों के लक्षण थे। यह कुछ निश्चित प्रकार की ऋणग्रस्तता यथा, प्रथागत दायित्व, जबरन मजदूरी, बेगार अथवा ऋणभार का परिणाम है जो लम्बे समय से प्रचलन में है तथा समाज के आर्थिक रूप से शोषित, लाचार एवं कमजोर वर्ग इसमें शामिल हैं। वे किसी कर्ज के बदले में साहूकार को सेवा प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। कभी–कभी मामूली रकम चुकाने के लिए कई पीढ़ियाँ गुलामी में काम करती हैं, जो उसके किसी दूर के पूर्वज द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ली गई थी। यह एक असमान आदान–प्रदान की पद्धति है जो कुल मिलाकर मूलभूत मानव अधिकारों का बदतर हनन् है तथा मजदूर की गरिमा का अपमान है।

समस्या की विकरालता :

मजदूरी का अर्थ सेवा है। सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति मजदूर होता है। एक बंधुआ मजदूर वह है जो बंधुआ कर्ज के कारण सेवा प्रदान करता है। ऐसी स्थिति सामाजिक अथवा आर्थिक मजबूरी के कारण उत्पन्न हो सकती है जिससे मजदूर किसी दूसरे को सेवा एवं रोजगार की ऐसी शर्तों एवं दशाओं के तहत् सेवा प्रदान करने को बाध्य होता है जो उसके लिए पूरी तरह से हानिकर है।

उन शर्तों एवं दशाओं जिसके तहत ऐसी सेवा प्रदान की जाती है, का उल्लेख बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 2 (जी) में किया गया है। सर्वेक्षण के माध्यम से बंधुआ मजदूर प्रथा की पहचान की जिम्मेवारी इस अधिनियम की धारा 14 (ई) के तहत सतर्कता समिति को सौंपी गई है।

यदि सतर्कता समितियों का गठन सभी जिलों तथा उप–मण्डलों में किया गया होता तथा जब कभी आवश्यक हो उनका पुर्नगठन किया जाता तथा इन समितियों ने कल्पना एवं संवेदनशीलता से आवधिक सर्वेक्षण कराया होता तो इस समस्या की गंभीरता के संबंध में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचना संभव हो सकता था। खेद है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर के किसी वैकल्पिक घरेलू सर्वेक्षण (ऐसा पहला सर्वेक्षण गांधी शांति फाउंडेशन द्वारा वी. वी. गिरि राष्ट्रीय मजदूर संस्थान के सहयोग से 1978–79 में कराया गया था किन्तु इसके लिए जो पद्धति अपनाई गई थी, उसके वैज्ञानिक नहीं

होने के कारण इसके नतीजे सरकार को स्वीकार्य नहीं थे) के अभाव में, देश में बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बी एल एस (ए) अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सर्वेक्षण के द्वारा आरंभिक स्तर पर 2,86,000 बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई है। ऐसे सर्वेक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में सूचना के अभाव में ऐसे आंकड़ों की यथार्थता को प्रमाणिक ठहराना संभव नहीं है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा के कारण :

रोजगार के पक्के एवं स्थाई अवसर के अभाव में जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी, कम रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी अधिसूचित रोजगार के संबंध में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी देने से इंकार करने, सामान देकर मजदूरी का भुगतान करने की घातक प्रथा, जिससे मुद्रा से चलने वाली अर्थव्यवस्था में कोई मजदूर अपने घरेलू खर्चों को चुकाने के लिए नकद ऋण/कर्ज/उधार लेने के लिए किसी साहूकार के पास जाने के लिए विवश होता है, घातक जाति व्यवस्था, भूमिहीन एवं संपत्तिहीन परिवार जो वैकल्पिक अथवा बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार की तलाश में भारत के एक भाग से दूसरे भाग में अधिक मजदूरी की आशा में प्रवास करने को विवश होते हैं जहां पहुंच कर (वे गुलामी में फंस जाते हैं) (क) उधार की दोषपूर्ण प्रणाली, (ख) उधार की राशि पर अत्यधिक ब्याज दर (ग) उधार की राशि के साथ मजदूरी के समायोजन की दोषपूर्ण पद्धति (घ) उधार के समाप्त न होने की स्थिति में कार्यस्थल को छोड़ने की स्वतंत्रता खत्म होने (च) व्यापक अज्ञानता, निरक्षरता, सामाजिक पिछड़ापन तथा (छ) कर्जदार की ओर से उचित, न्यायसंगत सौदा करने के लिए किसी संगठन का अभाव, समारोह, उपभोग तथा विकास के उद्देश्यों के लिए सस्ते कर्ज के वैकल्पिक साधन का अभाव में बंधुआ मजदूरी प्रथा की उत्पति, उसके प्रचलन तथा उसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार हैं।

घातक बंधुआ मजदूरी प्रथा को शुरू करने वाले कारक हैं : लंबी बीमारी के कारण परिवार में संकट एवं मृत्यु, प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना, रोजगार का अकस्मात लोप, सूदखोर द्वारा धोखा एवं कर्ज का डिज़ाईन, शादी एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों पर होने वाले बेहिसाब खर्च, शराब की लत, प्रवास तथा अवैध व्यापार।

राज्य सरकार इस दोषपूर्ण धारणा के कारण अपने संबंधित राज्यों में बंधुआ मजदूरी के व्याप्त होने को मानने से इंकार करते हैं क्योंकि बंधुआ मजदूरी प्रथा की पहचान होने से सरकार एवं प्रशासन की बदनामी होगी। अपनी जानकारी में लाए गए बंधुआ मजदूरी की शिकायतों के प्रति प्राधिकारी अधिकांशतः गैर जवाबदेह पाए जाते हैं। ऐसी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने तथा बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं उनकी

रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने की बजाए वे बंधुआ मजदूरों का हिसाब चुकाने के बाद उन्हें तितर–बितर करने में बंधुआ मजदूर रखने वालों की मदद करते पाए गए हैं।

अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र जहां बंधुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित है

यद्यपि बंधुआ मजदूरी प्रथा की जड़ें सामंती एवं अर्द्ध सामंती सामाजिक ढांचे में गहरी जमी हुई हैं, यह जमींदार दास संबंध के साथ उन्नत कृषि तथा गैर कृषिगत क्षेत्रों में भी प्रचलित है।

- कृषिगत क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी प्रथा की अधिकतर घटनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं।
- गैर कृषिगत क्षेत्र में, यह ईंट भट्टी, पत्थर की खदानों, बीड़ी उत्पादन, दरी बुनाई, दियासलाई एवं पटाखा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, निर्माण परियोजनाओं में तथा रेशम उत्पादन प्रसंस्करण उद्योग में बंधुआ बाल मजदूरी में प्रचलित है।
- बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों से संबंधित प्रवासी बंधुआ मजदूर वंचन एवं शोषण का वृहद् स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जो प्रायः बंधुआ मजदूरी प्रथा के समान होता है।
- घरेलू कामगार, जोगिन तथा देवदासियाँ बंधुआ मजदूरी प्रथा के रूप में शोषण का शिकार बनाई जाती हैं।

बंधुआ मजदूरी प्रथा की विशेषताएं

बंधुआ मजदूरी प्रथा कोई एक बार होने वाला अथवा एक व्यवसाय से जुड़ा अजूबा नहीं है। यह किसी भी उद्योग, पेशे अथवा प्रक्रिया में किसी समय घट सकता है तथा इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। यह प्रथा कार्यस्थल पर नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच स्थापित होने वाले संबंध पर निर्भर करता है। यदि उनका संबंध उचित तथा न्यायसंगत है, तथा गरिमा, शालीनता, समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित है, तो चिंता का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत, यदि उनका संबंध शोषण, उत्पीड़न, स्वत्वहरण पर आधारित है, तो काम के साथ जुड़ा हर उत्साह तथा आनंद गायब हो जाता है तथा मजदूर केवल दास बनकर रह जाता है।

दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता के लोप के साथ साहूकार कर्जदार के संबंध की मौजूदगी बंधुआ मजदूरी प्रथा की मुख्य विशेषता है। स्वतंत्रता का यह लोप अलग–अलग प्रकार का हो सकता है यथा :–

- समुचित आजीविका के लिए रोजगार की स्वतंत्रता अथवा रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अभाव

- किसी अनुसूचित रोजगार के संबंध में उचित सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी कमाने की स्वतंत्रता का अभाव
- भारत राज्य क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की स्वतंत्रता का अभाव
- अपनी किसी भी संपत्ति अथवा मजदूरी के उत्पाद अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य या उस पर निर्भर किसी व्यक्ति की मजदूरी का बाजार मूल्य पर विनियोग करने अथवा उसे बेचने की स्वतंत्रता का अभाव

संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षोपाय

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को – न्याय – सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, मत एवं पूजा की स्वतंत्रता; हैसियत एवं अवसर की समानता तथा भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 23

मनुष्यों के अवैध व्यापार तथा जबरन मजदूरी का निषेध

1) मनुष्य के अवैध व्यापार तथा बेगार एवं जबरन मजदूरी के अन्य समान स्वरूपों का निषेध किया गया है तथा इस उपबन्ध का उल्लंघन कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा।

2) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लगाने से नहीं रोकेगा तथा ऐसी सेवा आरोपित करने में राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति अथवा वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 39

राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धान्त

अनुच्छेद 39 (क) में यह प्रावधान है कि नागरिकों, पुरूषों एवं महिलाओं को समान रूप से, जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हैं, अनुच्छेद 39 (घ) में यह प्रावधान है कि पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 39 (च) में यह उपबन्ध है कि मजदूरों, पुरुषों एवं महिलाओं तथा कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी क्षमता का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक जरूरत के कारण नागरिक अपनी उम्र अथवा क्षमता से मेल नहीं खाने वाले व्यवसायों में आने को बाध्य न हों।

अनुच्छेद 42

काम की उचित एवं मानवीय दशाओं तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान

राज्य काम की उचित तथा मानवीय दशाओं एवं मातृत्व राहत सुरक्षित करने के लिए उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 43

मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी आदि

राज्य उपयुक्त विधान अथवा आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी मजदूरों, कृषिगत, औद्योगिक, अथवा अन्यथा को, काम एवं निर्वाह योग्य मजदूरी, एक संतोषजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करती काम की दशाएं तथा फुरसत तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का पूरा उपभोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

राष्ट्रीय संदर्भ में कानूनी प्रावधान

'बंधुआ मजदूरी' का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर तब सामने आया जब इसे पुराने 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1.7.75 को की गई। तत्पश्चात् संवैधानिक प्रावधान के आधार पर 'बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश' 25.10.75 को जारी किया गया जिसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ने ले लिया किन्तु यह 25.10.75 की तारीख से ही प्रभावी हुआ जिस तिथि को अध्यादेश जारी किया गया था।

कोई व्यक्ति जो 25 अक्टूबर, 1975 को बंधुआ मजदूर था, इस तिथि से बंधुआ मजदूरी देने तथा कर्ज चुकाने के किसी भी दायित्व से मुक्त हो गया। उसे जमींदार/सूदखोर/बंधुआ मजदूर मालिक से लिए गए किसी भी ऋण/कर्ज/उधार की परवाह किए बिना मुक्त किया जाएगा।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम में पर्याप्त विषय–वस्तु के रूप में उद्देश्यों एवं कारण का विवरण, 7 अध्याय एवं 24 खंड हैं। इसे मोटे तौर पर निम्नलिखित में विभक्त किया जा सकता है :–

- परिभाषा
- अधिनियम के आरंभ होने की तिथि के बाद होने वाले परिणाम
- पीड़ितों को राहत
- लागू करने वाले प्राधिकरणों की संरचना
- कानूनी एवं दण्डात्मक प्रावधान

इनका क्रमानुसार विश्लेषण निम्न प्रकार से किया गया है :

1. परिभाषा

इस अधिनियम में उधार, समझौता, पूर्वज या वंशज, बंधुआ कर्ज, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरों, बंधुआ मजदूरी प्रथा, परिवार तथा नाममात्र मजदूरी को परिभाषित किया गया है।

2. इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के बाद होने वाले परिणाम

निम्नलिखित परिणाम हुए हैं:

- 25.10.75 से बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन के साथ बंधुआ मजदूर बंधुआ मजदूरी देने के किसी भी दायित्व से मुक्त हैं।
- ऐसे सभी रिवाज, परम्परा, अनुबन्ध, समझौते, अथवा दस्तावेज अमान्य होगें जिसके कारण किसी व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति पर निर्भर परिवार के किसी सदस्य को बंधुआ मजदूरी करनी अपेक्षित है।
- किसी बंधुआ मजदूर का किसी भी प्रकार के बंधुआ कर्ज को चुकाने का सभी भार समाप्त समझा जाएगा।
- किसी प्रकार के बंधुआ कर्ज की वसूली के लिए किसी सिविल न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में कोई वाद नहीं रहेगा या कोई अन्य कार्यवाही नहीं होगी।
- इस अधिनियम के लागू होने से पहले पूरी तरह से नहीं चुकाए गए बंधुआ कर्ज की वसूली के लिए दिए गए सभी आदेश को पूरी तरह से चुकाया मान लिया जाएगा।
- बंधुआ कर्ज की वसूली के लिए की गई सभी कुर्की रद्द समझी जाएगी।
- बंधुआ मजदूर की कोई चल संपत्ति, यदि जब्त की गई है तथा उसके संरक्षण से हटा ली गयी है तो उसे वह वापस की जाएगी।
- ऐसी किसी भी सम्पत्ति जिसका स्वामित्व साहूकार द्वारा जबरन ले लिया गया था उस व्यक्ति को वापस की जाएगी जिससे वह जब्त की गई थी।
- बंधुआ मजदूर प्रथा के तहत् किसी भी दायित्व (भार) के प्रवर्तन के लिए कोई वाद या कार्यवाही खारिज हो जाएगी।
- सिविल जेल में निरूद्ध रखे गए सभी बंधुआ मजदूर को तुरंत रिहा किया जाएगा।

- किसी बंधुआ मजदूर की गिरवी रखी गई कोई सम्पत्ति, देखरेख लिएन वाली किसी सम्पत्ति, अथवा किसी अन्य भार के सार्वजनिक कर्ज से संबद्ध होने पर वह संपत्ति मुक्त समझी जाएगी तथा ऐसे रेहन से उसे मुक्त कर दिया जाएगा।
- रिहा हुए बंधुआ मजदूरों को वासभूमि क्षेत्र से बेदखल नहीं किया जाएगा।

3. पीड़ित को राहत

- पीड़ित व्यक्ति सम्पत्ति का स्वामित्व वापस दिलाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकरण में आवेदन दे सकता है (यदि अधिनियम के लागू होने की तिथि के 80 दिनों के भीतर इसे लौटाया नहीं जाता)।
- निर्दिष्ट प्राधिकरण साहूकार को उस सम्पत्ति का कब्जा पीड़ित को वापस करने का निर्देश देते हुए तत्काल एक आदेश पारित कर सकता है।
- निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा दिए गए इस आशय के किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश माना जाएगा।
- यदि इस अधिनियम के लागू होने से पहले वह सम्पत्ति बेच दी गई थी तो पीड़ित पक्ष अपनी संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकता है।
- यदि रेहन रखी गई सम्पत्ति बंधुआ मजदूर के कब्जे में लौटाई नहीं जाती अथवा किसी प्रकार की देरी होती है तो बंधुआ मजदूर उस मध्यवर्ती लाभ को पाने का हकदार होगा जो सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4. लागू करने वाले प्राधिकारियों की संरचना :

कानून में जिला मजिस्ट्रेट तथा उसके द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित सभी अधिकारियों के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का प्रावधान है। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है। (इसका विस्तार से वर्णन अध्याय – VII में किया गया है)। कानून में जिला एवं उपप्रभागीय स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन, रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं उनके पुनर्वास के क्षेत्र में ऐसी समितियों के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के लिए भी उपबन्ध किया गया है।

5. कानूनी एवं दण्डात्मक प्रावधान

इस अधिनियम में किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें (क) बंधुआ कर्ज को आगे बढ़ाने के लिए दण्ड (ख) बंधुआ मजदूरी प्रथा को चलाने के लिए दण्ड (ग) बंधुआ मजदूरों की सम्पत्ति का स्वामित्व बहाल करने में चूक जाने या उसमें असफल रहने पर दण्ड तथा (घ) कमी के लिए भी प्रावधान है। इस अधिनियम में ऐसे सभी अपराधों की जांच के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है तथा इस अधिनियम के तहत् सभी अपराधों की संक्षिप्त जांच के लिए उन्हें प्रथम या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ देने का प्रावधान भी किया गया है। यह कानून ऐसे किसी मामले में सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है जिसमें अधिनियम के प्रावधान प्रयोज्य (लागू होते) हैं।

धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता

गैर कानूनी अनिवार्य मजदूरी

यदि किसी व्यक्ति को कोई गैर कानूनी रूप से उसकी इच्छा के विरूद्ध मजदूरी करने के लिए बाध्य करता है तो उसे या तो एक वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माने की सजा हो सकती है या दोनों की सजा हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षोपाय

- 1930 के बलात् मजदूरी समझौता (सं0 29) [अनुच्छेद 2 (1)] के अनुसार, – "बलात या अनिवार्य मजदूरी" शब्द का अर्थ ऐसे हर काम या सेवा से है जो किसी व्यक्ति से किसी दण्ड की धमकी देकर जबरन कराया जाता है तथा जिसके लिए कथित व्यक्ति स्वेच्छा से प्रस्ताव नहीं रखता है।
- आई एल ओ समझौते में यह कहा गया है कि सदस्य राज्यों को जबरन या अनिवार्य मजदूरी के प्रयोग को इसके सभी स्वरूपों में यथासंभव कम–से–कम अवधि में समाप्त करना है। (भारत ने बलात् मजदूरी पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय (सं0 29) को 30.11.1954 को अनुसमर्थन किया)
- मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि "किसी को भी गुलामी या दासता में नहीं रखा जाएगा; दासता एवं दास व्यापार को उसके सभी स्वरूपों में निषिद्ध किया जाएगा।"

- दासता उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अनुपूरक अभिसमय (1956) – कर्ज गुलामी को इस रूप में परिभाषित करता है "किसी कर्जदार द्वारा किसी कर्ज के लिए जमानत के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवा अथवा उसके नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति की सेवा के लिए दिए गए वचन से उत्पन्न होने वाली स्थिति, यदि दी गई सेवाओं का मूल्यांकन किए जाने पर कर्ज के समापन की दिशा में लागू नहीं हो अथवा उन सेवाओं का विस्तार तथा उसकी प्रकृति क्रमशः सीमित एवं परिभाषित नहीं है।"

- जबरन मजदूरी रोकने पर आई एल ओ रिपोर्ट (2001) में, बंधुआ मजदूर का अर्थ ऐसे मजदूर से है जो आर्थिक विचार से उपजी दासता की स्थिति में कर्ज या उधार लेने के कारण ऋण ग्रस्त होने के कारण अपनी सेवा देता है। जहाँ कर्ज दासता का मुख्य कारण है, वहां अभिप्राय यह है कि मजदूर निर्धारित या अनिर्धारित अवधि के लिए किसी साहूकार विशेष से बंधा होता है जब तक कि अत्यधिक दर पर ली गई ब्याज के साथ कर्ज पूर्णतया चुका न दिया जाए।

जमीनी वास्तविकता :–

- कई राज्य यह रवैया अपनाते हैं कि उनके राज्य में कोई बंधुआ मजदूर नहीं है तथा जो भी अपेक्षित था वह सब कर दिया गया है।

- बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन कोई एक बार का घटनाक्रम नहीं है। यह किसी भी उद्योग/व्यवसाय/प्रक्रिया में कभी भी घट सकता है तथा इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है।

- हालांकि बंधुआ मजदूरी मुख्यतया कृषि में पाई जाती है, यह ईंट भट्ठी, पत्थर के खदानों, चावल मिलों, नमक उत्पादन, चर्मशोधन ईकाईयों आदि जैसे कई अन्य उद्योगों/व्यवसायों में भी यह व्याप्त है।

- अंतरर्राज्यीय प्रवासी मजदूर भी बंधुआ मजदूर की श्रेणी में ही आते हैं।

- बंधुआ बाल मजदूर की समस्या उतनी ही जटिल है जितनी महिला बंधुआ मजदूर तथा प्रवासी बंधुआ मजदूर की।

- भूमि, रोजगार सृजन करने जो पूर्ण, मुक्त तरीके से चुना जाए तथा उर्वर हो, (आई एल ओ अभिसमय सं0 22 जिसे भारत ने

अनुसमर्थित किया है) तथा कर्ज सुविधा के विस्तार से जुड़े मुद्दों का समग्र तरीके से समाधान नहीं किया जाता है।

- जब तक पुनर्वास की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा नहीं किया जाता, तब तक रिहा कराए गए बंधुआ मजदूर के दुबारा कर्ज के चुंगल में फंसने की पूरी संभावना है।

बंधुआ मजदूरों की रिहाई के लिए सुरक्षोपाय तथा उनके गुलामी में दुबारा फंसने से रोकथाम

- पहचान, रिहाई तथा पुनर्वास एक साथ होना चाहिए।
- पहचान एवं रिहाई के बीच कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए तथा इसी प्रकार रिहाई एवं पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने के बीच कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पहचान किए गए व्यक्तिगत बंधुआ मजदूरों के संबंध में रिहाई प्रमाण पत्र शीघ्र उस भाषा में जारी किए जाएं जो बंधुआ मजदूर की समझ में आ सके।
- नियोक्ता का अभियोजन साथ–साथ हो किन्तु यह बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं रिहाई से अलग होना चाहिए।
- बंधुआ मजदूर रखने वाले को दोषी ठहराने में होने वाले विलम्ब अथवा अन्ततोगत्वा उसको बरी किए जाने से पुनर्वास की प्रक्रिया में कोई रूकावट नहीं आनी चाहिए।

बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए योजना

रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों का शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास सुरक्षित करने के राज्य सरकारों के काम में उनकी मदद करने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय ने मई 1978 में 50:50 के आधार पर एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना आरंभ की। इस योजना में समय–समय पर गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं तथा इसे उत्तरोतर उदार बनाया गया है। मई, 2000 से पुनर्वास सहायता को प्रति बंधुआ मजदूर रु0 10,000/– से बढ़ाकर रु0 20,000/– कर दिया गया है तथा 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है यदि वे अपना हिस्सा देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें तो। संशोधित योजना में बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण करने, जागरूकता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों तथा उसके होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी है।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को गरीबी उन्मूलन के लिए चालू अन्य योजनाओं यथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज रोजगार येाजना (एस जे जी एस आर वाई), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना आदि योजनाओं के साथ जोड़ने/सामंजस्य स्थापित करने की सलाह दी गयी है।

अनुबन्ध पर लिए गए तथा प्रवासी बंधुआ मजदूर की समस्या सर्वाधिक जटिल एवं संवेदनशील समस्याओं में एक है। वस्तुतः यह ऐसी समस्या है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष बड़ी संख्या में दाखिल की गई लोकहित याचिका का विषय है। बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियिम की धारा 2 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर तथा अनुबन्ध एवं प्रवासी मजदूर को इस अधिनियम के दायरे में लाते हुए अप्रैल, 1985 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। यदि ऐसे मजदूर अधिनियम की धारा 2 (ज) में परिभाषित बंधुआ मजदूरी प्रथा के उपादानों को पूरा करते हैं। कान्ट्रेक्ट/प्रवासी मजदूर की भर्ती का तरीका निम्नलिखित हैः–

- इस मौसम से पहले (ईंट भट्ठी) प्रधान नियोक्ता द्वारा भारत के एक भाग से दूसरे भाग में कान्ट्रेक्ट/प्रवासी मजदूर भर्ती करने के लिए भर्ती करने वाले एजेंट तैनात किए जाते हैं।
- भर्ती करने वाले एजेंट मजदूरों को अग्रिम का भुगतान करते हैं तथा उन्हें कार्यस्थल पर सामान्यतः उनके परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी मजदूरी एवं काम की बेहतर दशाओं के वादे एवं प्रलोभन के साथ लाते हैं।
- अग्रिम के भुगतान के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भर्ती करने वाले एजेंटों के पास रहता है; उसमें निहित सामग्री को मजदूरों के साथ बांटा नहीं जाता।
- वादे कभी पूरे नहीं किए जाते।
- जैसे ही मजदूर कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, उनका क्रूर शोषण किया जाता है;
- कार्य के घंटे अत्यधिक लंबे होते हैं;
- कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती; निर्धारित कार्य अवधि अर्थात् 8 घंटा प्रतिदिन तथा 48 घंटा प्रति सप्ताह से अधिक कार्य करने पर किसी समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता;

- कोई मजदूरी नहीं दी जाती तथा कामगार अपने दिन–प्रतिदिन के जैविक निर्वाह के लिए पेशगी लेते रहते हैं;
- भुगतान किए गए अग्रिम का समायोजन एकपक्षीय, मनमाने तथा अनुचित तरीके से देय मजदूरी में से किया जाता है;
- यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता जैसे कानूनी अधिकारों का तथा यात्रा अवधि के दौरान मजदूरी का भुगतान कभी नहीं किया जाता।
- कामगारों को निरन्तर यह कहा जाएगा "आप कार्यस्थल छोड़कर तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको दिया गया अग्रिम पूर्णतया चुका नहीं दिया जाता"।
- कामगारों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं रहता कि उधार पूर्णतया कब तक चुका दिया जाएगा क्योंकि उधार के भुगतान के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों तक उनकी पहुँच नहीं रहती जो केवल भर्ती करने वाले एजेंटों के पास रहती है।
- इस प्रकार, कान्ट्रेक्ट/प्रवासी मजदूर पूर्णतया बंधुआ मजदूरी प्रथा के दायरे में आते हैं क्योंकि यह बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 2(जी) के तहत् आता है।

तद्नुसार, रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपबन्धित पुनर्वास पैकेज में निम्नलिखित मुख्य घटक शामिल हैं:

- घरेलू स्थान तथा कृषिगत भूमि का आबंटन;
- भूमि विकास;
- कम लागत के निवास इकाईयों का प्रावधान
- पशुपालन, डेयरी, पॉल्ट्री, सूअर बाड़ा आदि;
- नई क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण; मौजूदा क्षमताओं का विकास;
- मजदूरी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी को लागू करना आदि;
- लघु वन उत्पादों का संग्रह तथा उनका प्रसंस्करण
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति
- बच्चों के लिए शिक्षा;
- नागरिक अधिकारों की रक्षा।

बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए योजना के घटक

बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के निम्नलिखित घटक हैं :

- प्रत्येक राज्य सरकारों को उन संवेदनशील जिलों की पहचान करना अपेक्षित है जहां बंधुआ मजदूरी प्रथा की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, इस प्रथा के व्याप्त होने के कारणों का पता लगाना है तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने हैं।
- दासता की घटनाओं, दासता के कारणों एवं स्वरूपों आदि का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर सर्वेक्षण कराना है।
- भारत सरकार ऐसे सर्वेक्षण कराने के लिए 2 लाख रुपये की राशि प्रत्येक जिले को प्रदान करती है। यह राशि किसी विशेष जिले को 3 वर्षों में एक बार प्रदान की जाती है।
- जागरूकता फैलाने के उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को 10 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है।
- प्रत्येक राज्य सरकार को प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य के 5 जिलों/क्षेत्रों में 5 मूल्यांकन अध्ययन करना अपेक्षित है।
- पुनर्वास अनुदान को रिहा कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर के लिए रु0 10,000/– से बढ़ाकर 20,000/– कर दिया गया है, जिसका खर्च केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। इसमें से किसी बंधुआ मजदूर की रिहाई पर निर्वाह भत्ते के रूप में 1,000/– रुपये तत्काल भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

पुनर्वास में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

- जिला मजिस्ट्रेटों को जिला एवं उप–प्रभागीय स्तर पर एक सर्वेक्षण कराने के पश्चात् सतर्कता समितियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों के आधार पर पहचान किए गए बंधुआ मजदूरों की रिहाई सुनिश्चित करनी है।
- वे रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए (वरीयता, अनुभूत आवश्यकताओं तथा लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए) – भूमि आधारित, गैर–भूमि आधारित तथा कौशल/शिल्प आधारित व्यवसाय वाले उपयुक्त योजनाएं भी बनायेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के रूप में दाखिल किए गए लोकहित वादों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकारियों को स्पष्ट, सख्त एवं आदेशात्मक निर्देश जारी किए गए हैं। उन मामलों के नाम जिसमें ये आदेश दिए गए तथा उनमें निहित निर्देशों का सार नीचे सूचीबद्ध है :

1. ए आई आर 1984 सर्वोच्च न्यायालय 802
पी एन भगवती, आर एस पाठक एवं अमरेन्द्र नाथ सेन जे जे
1982 की रिट याचिका सं0 2135
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं अन्य

फैसले की तारीख – 16.12.1983

महत्वपूर्ण निर्देशों का सार :

- जब कभी यह प्रदर्शित होगा कि किसी मजदूर से बलात मजदूरी कराई जाती है तो अदालत यह मान लेगी कि किसी उधार अथवा अन्य आर्थिक हालात के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा है तथा इस प्रकार, वह एक बंधुआ मजदूर है जो कानून के तहत् लाभों का हकदार है।
- हरियाणा सरकार को बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के तथा 16.12.1983 के 6 हफ्तों के भीतर किसी जिले के प्रत्येक उप प्रभाग में एक सतर्कता समिति गठित करनी चाहिए।
- हरियाणा सरकार राज्य के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को बंधुआ मजदूरों की पहचान के कार्य को उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक समझने का निर्देश देगी।
- राज्य सरकार, सतर्कता समिति तथा जिला मजिस्ट्रेट कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु गैर–राजनीतिक, सामाजिक कार्य समूहों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता लेंगे।
- राज्य सरकार की इस दलील में कोई दम नहीं है कि पत्थर के खदानों एवं कोल्हू में काम करने वाले मजदूर बलात मजदूरी करते होंगे किन्तु वे बंधुआ मजदूरी प्रथा के तहत् काम नहीं कर रहे थे।
- राज्य सरकार को 16.12.1993 से 3 महीनों के भीतर रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए सचिव, श्रम मंत्रालय द्वारा

2.9.1982 को भेजे गए दिशा–निर्देशों के आलोक में एक योजना तैयार करनी चाहिए।

- राज्य सरकार को कानून के प्रवर्तन में एक अनौपचारिक एवं अपरम्परागत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो मनुष्य की गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है।
- केंद्र एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि पत्थर के खदानों एवं पत्थर चूरने वाले स्थानों में नियोजित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सीधे–सीधे किया जाता है न कि दलालों के माध्यम से, सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

2. ए आई आर 1984 सर्वोच्च न्यायालय 1099

पी. एन. भगवती तथा अमरेन्द्रनाथ सेन जे जे

1982 की रिट याचिका (आपराधिक) सं0 1263

नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

फैसले की तारीख – 08.05.1984

महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों का सारांश :

- पहचान एवं रिहाई के तत्काल बाद पुनर्वास अवश्य होना चाहिए, नहीं तो रिहा कराए गए बंधुआ मजदूर गरीबी, लाचारी तथा निराशा से मजबूर होकर दुबारा गुलामी में धकेल दिए जायेंगे।
- जमीनी स्तर पर काम कर रहे सामाजिक कार्य समूहों को बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं रिहाई के काम में पूर्णरूपेण संलग्न रहना चाहिए।
- जिला एवं उपमण्डीय स्तर की सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया जाना चाहिए तथा उन्हें सक्रिय करना चाहिए। उनकी बैठकें कम अन्तराल पर की जानी चाहिए।
- बंधुआ मजदूरी प्रथा की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारियों को समुचित रूप से प्रशिक्षित तथा संवेदीकृत करना चाहिए ताकि वे गरीबों की तकलीफों एवं कष्ट से अपने आपको जोड़ सकें।
- सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध, स्वाभाविक रूप से प्रेरित, आदर्शवाद से प्रेरित तथा किसी प्रकार के दबावों से अछूता रहने वाले तथा

विरोधों का सामना करने को तैयार रहने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सार्वजनिक मान्यता देकर उनके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

- वैसे क्षेत्रों, जो पारंपरिक रूप से कर्ज दासता के उन्मुख हैं, का गहन सर्वेक्षण, सतर्कता समितियों द्वारा उस क्षेत्र में चल रहे सामाजिक कार्य समूहों की सहायता से कराया जाना चाहिए।
- लागू होने वाली योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन अवश्य कराया जाना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन लक्ष्य समूहोन्मुख होना चाहिए।

3. 1987 (पूरक) सर्वोच्च न्यायालय मामले 141

पी. एन. भगवती, सी जे एव ंके. एन. सिंह जे

संथाल परगना अन्त्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

1983 की रिट याचिका सं0 13450

फैसले की तारीख – 19.12.1986

मुख्य निर्देशों का सारांश :

- के. बी. सक्सेना समिति द्वारा बंधुआ पाए गए सभी व्यक्तियों को आदेश जारी होने की तिथि से 2 हफ्तों के भीतर रिहा कर दिया जाना चाहिए।
- समाहर्त्ता को इस तरह रिहा किए गए व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक रिहाई प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।
- रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों में से प्रत्येक को अंतरिम राहत के रूप में रुपये 3000/– की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यह भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः
  - रिहाई के साथ–साथ 500/– रु0
  - रिहाई की तिथि से 2 हफ्तों के भीतर 2500/– रु0
- रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों (2515) का पुनर्वास राज्य सरकार द्वारा स्थाई आधार पर किया जाना चाहिए।
- पुनर्वास कार्यक्रम का कार्यान्वयन उच्चतम न्यायालय में मौजूदा कार्यवाहियों के लम्बित होने के कारण रूकना नहीं चाहिए।

- आदेश प्राप्त होने की तारीख से 2 हफ्तों के भीतर राज्य सरकार उनके द्वारा तैयार किए गए स्थाई पुनर्वास कार्यक्रम दर्शाती एक रिपोर्ट अदालत की छान–बीन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।
- के. बी. सक्सेना समिति रिपोर्ट में की गई अन्य सिफारिशों को यथा संभव अदालत का आदेश प्राप्त करने की तिथि से एक महीने के भीतर लागू किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (1985 की रिट याचिका सं0 3922) के मामले में दिनांक 11.11.1997 के अपने आदेश में निर्देश दिया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को कानून, राष्ट्रीय नीति तथा कार्य योजना तथा समय–समय पर किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की गति तथा प्रगति की निगरानी करने में शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में बंधुआ मजदूरी की स्थिति की निगरानी कर रहा है।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रम मंत्रालय ने केंद्र सरकार तथा हरियाणा सरकार के अधिकारियों को शामिल कर एक कार्य दल का गठन किया जो विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं। कार्य दल को पत्थर की खदानों तथा कोल्हू का आवधिक दौरा तथा निरीक्षण करना अपेक्षित है ताकि मजदूरों की कार्य एवं जीवन यापन की दशाओं का पता लगाया जा सके। कार्य दल नियमित रूप से बैठक कर तथा केंद्र तथा राज्य सरकार को संबंधित प्राधिकारियों की ओर से कानूनी प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति दर्शाती रिपोर्ट सौंप कर अपने कर्त्तव्य को पूरा कर रहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहल

- सर्वोच्च न्यायालय ने – *पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य* के संबंध में रिट याचिका में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी में शामिल रहने का अनुरोध किया।
- "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आगरा महिला संरक्षण गृह की कार्य प्रणाली के पर्यवेक्षण में शामिल होने का अनुरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 1981 के रिट याचिका सं0 1900 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11.11.1997 को जारी किए गए आदेश में दर्शाए गए तरीके का अनुकरण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह

गृह उसी तरीके से कार्य कर रहा है जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है, उसे हासिल करने के लिए अपेक्षित है" तथा "संबंधित प्राधिकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का शीघ्र पालन करेंगे"।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस दिए गए दायित्व को बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 में शामिल किए गए सांविधानिक गारंटी (भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 (1)) के दृष्टिकोण से देखता है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 1998 में बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी शुरू की। इसने 13 राज्यों – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर बंधुआ मजदूर प्रवण क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।
- आयोग अपने विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।
- आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा राज्यों में कई समीक्षाएं की गई हैं।
- आयोग इसको सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने में इसके द्वारा उठाए गए कदमों से सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराता रहता है।
- वर्ष 2000 में, आयोग ने बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन के लिए कानूनों के कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजना तथा सिफारिश की स्थिति/उसमें सुधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।
- इस समूह ने अपनी रिपोर्ट में वर्तमान स्थिति, मौजूदा योजनाओं की स्थिति तथा कानून से संबंधित सिफारिशों पर अपने नतीजे बताए। इसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए एक कार्य योजना भी दी जिसमें यह बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपे गए निगरानी के कार्य के तहत यह

अपेक्षित है कि सभी तीनों कार्य यथा बंधुआ मजदूरी की **पहचान, रिहाई** तथा **पुनर्वास** में आयोग शामिल हो।

आयोग बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत् निम्नलिखित आवश्यक उपायों को पूरा करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ लगा हुआ है। नामतः –

1. अधिनियम (धारा 10) के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्राधिकारियों का विवरण देना;
2. प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक उप प्रभाग में सतर्कता समितियों का गठन (धारा 13);
3. अधिनियम के तहत् अपराधों की जाँच के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना (धारा 21);
4. संवेदनशील जिलों तथा उद्योगों की पहचान करना जहाँ किसी–न–किसी रूप में बंधुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित है।

बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत् मामलों में गवाहों के मुकरने की घटना

आयोग द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के तहत् दोषी नियोक्ताओं के विरूद्ध मामलों में गवाहों के मुकरने की घटना की जांच करने के लिए एक समूह का गठन किया गया था। इस समूह की बैठक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में 7.7.2005 को हुई थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि आयोग बंधुआ मजदूर प्रवण राज्यों से प्राप्त मामलों के अभियोजन के संबंध में आवधिक सूचना प्राप्त करेगा।

इस पैनल ने यह भी सिफारिश की कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, की धारा 12 बी के तहत् राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्डया के समक्ष लंबित विशेष मामला सं0 48/200 में अदालत की अनुमति लेने के पश्चात् हस्तक्षेप कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों की ओर से पहल नहीं किए जाने तथा राज्य सरकार की उदासीनता को देखते हुए पैनल ने यह सुझाव दिया कि माननीय अध्यक्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य मंत्रियों को डी ओ पत्र लिख सकते हैं। यह भी सुझाव दिया गया कि जिला मजिस्ट्रेटों को बी एल एस (ए) की धारा 21 के तहत् सारांश जांच के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ0 ए. एस. आनंद ने जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, के प्रावधानों के तहत् अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में कोई कदम नहीं उठाने के संबंध में सभी मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों को 12.9.2006 को पत्र लिखा जिसके कारण आरोपी द्वारा धमकी देने या मजबूर करने पर या न्यायिक व्यवस्था के

तहत् कार्यवाही में अत्यधिक विलंब से होने वाली परेशानी के कारण कई गवाह अपने बयान से मुकर गए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट

दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 को आयोग के निर्देशों के अनुसार बंधुआ मजदूर के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने के लिए दो प्रोफार्मा तैयार किए गए थे। प्रोफार्मा–I 31.12.2001 को बंधुआ मजदूरी की पहचान, रिहाई, पुनर्वास तथा अभियोजन की स्थिति के संबंध में सूचना मांगने के लिए है तथा प्रोफार्मा– II त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 5 मई, 2004 के अपने आदेश द्वारा सभी संघ एवं राज्य सरकारों को 6 महीने की अवधि के भीतर निम्नलिखित निर्देशों के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया :–

(अ) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा विहित प्रारूप में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक छः महीने पर अवश्य सौंपनी चाहिए। (अभी तक आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तिमाही आधार पर रिपोर्ट मांगता रहा है);

(ब) सभी राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 13 के अनुसार 6 महीनों की अवधि के भीतर जिला एवं उप प्रभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करेंगे।

(स) सभी राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए समुचित प्रबंध करेंगे। यह पुनर्वास भूमि–आधारित, गैर भूमि आधारित तथा कला/शिल्प कौशल आधारित हो सकता है, जो रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों की पसंद एवं उनकी अभिरूचि तथा उसके झुकाव तथा पिछले अनुभव पर निर्भर होगा। यदि राज्य इस प्रकार के पुनर्वास की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हों तो वे छः महीनों की अवधि के भीतर दो ऐसे परोपकारी संगठन अथवा गैर सरकारी संगठन को चिह्नित करेंगें जिनका रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित काम का अच्छा रिकार्ड हो तथा अच्छी प्रतिष्ठा हासिल हो;

(द) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए स्वयं अथवा ऐसे संगठन या गैर सरकारी संगठन को शामिल कर छः महीनों के भीतर एक विस्तृत योजना तैयार करेंगे;

(म) संघ तथा राज्य सरकार ऐसे मामलों में संशोधित केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत् राशि के बंटवारे के लिए छः महीनों की अवधि के भीतर एक योजना प्रस्तुत करेंगे, जहां राज्य ऐसे संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना चाहते हैं;

(ल) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य वैधानिक प्राधिकारियों/समितियों को अधिनियम के तहत् उनके कर्त्तव्यों के संबंध में संवदेनशील बनाने के लिए प्रबंध करेंगे।

आयोग ने 27 जून, 2007 को बंधुआ मजदूरी प्रथा तथा बाल मजदूरी के उन्मूलन पर राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर, राज्य/केंद्र सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लागू किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश उभर कर आए :–

1. संविधान के अनुच्छेद 23 में बेगार सहित बंधुआ मजदूरी के सभी स्वरूपों पर रोक है। यह इस बात में कोई भेद नहीं करता कि किसी दूसरे को अपनी मजदूरी अथवा सेवा देने के लिए बाध्य व्यक्ति को उसके लिए पारिश्रमिक दिया जाता है अथवा नहीं;

2. जब कोई व्यक्ति किसी को ऐसे पारिश्रमिक पर मजदूरी अथवा सेवा देता है जो न्यूनतम मजदूरी से कम है, तो उसके द्वारा की गई ऐसी मजदूरी अथवा सेवा अनुच्छेद 23 के तहत् जबरन मजदूरी के क्षेत्र एवं परिधि में आता है;

3. ऐसे क्षेत्रों का जहां पारंपरिक रूप से बंधुआ कर्ज की प्रथा के खतरे हों, उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे सामाजिक गतिविधि समूहों की सहायता से सतर्कता समितियों द्वारा एक गहन सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए;

4. बंधुआ मजदूरी प्रथा की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं को गरीबों के दुःख–दर्द में शामिल कर सकें;

5. प्रत्येक अधिकारी जो बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी रिहाई तथा पुनर्वास के कार्य में लगा हुआ है, को उसके दायित्वों का पूर्णरूपेण बोध कराया जाना चाहिए। उसे लक्ष्य एवं समर्पण की भावना से ओत–प्रोत किया जाना चाहिए जो इस दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए उत्तरदायी बनाए गए अधिकारियों के बीच पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने के संबंध में तत्परता एवं गंभीरता की भावना होनी चाहिए;

6. इस प्रकार रिहा किए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को संबंधित समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट अथवा कार्य पालक मजिस्ट्रेट, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हों, द्वारा एक रिहाई प्रमाण पत्र तुरंत जारी किया जाना चाहिए। यह प्रमाण पत्र स्थानीय भाषा में होना चाहिए तथा रिहा कराए गए व्यक्ति को उसी समय सौंपा जाना चाहिए;

7. राज्य सरकार को रिहा कराए गए बंधुआ मजदूर का पूनर्वास स्थायी आधार पर करना चाहिए;

8. पहचान तथा रिहाई के तत्काल बाद पुनर्वास अवश्य होना चाहिए; यदि ऐसा नहीं होता तो रिहा कराए गए बंधुआ मजदूर गरीबी, लाचारी तथा निराशा के कारण फिर से गुलामी में फंसने को मजबूर हो सकते हैं;

9. सभी रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत पर्याप्त निधि जारी की जानी चाहिए;

10. समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट/जिले के उपायुक्त को वैसे अन्य अधिकारियों जिन्हें पुनर्वास योजना को लागू करने के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है, के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि रिहा कराए गए मजदूरों के लिए लक्षित पूर्ण राशि उन तक पहुंचे;

11. दासता के सभी मामलों में अभियोजन शुरू किया जाना चाहिए तथा उसे पूरे जोश के साथ पूरा किया जाना चाहिए ताकि सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि हो सके तथा उसका प्रचार हो। हालांकि इसे गुलामी से बंधुआ मजदूर की रिहाई के साथ जोड़े जाने की जरूरत नहीं है तथा उसके पुनर्वास को उच्च प्राथमिकता के मामले के रूप में स्वतंत्र रूप से शुरू किया जाना चाहिए;

12. बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (धारा 16–19) में किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य करने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद तथा 2000/– रु0 के जुर्माने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा जमानत योग्य है;

13. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 में यह प्रावधान है कि कानून के तहत् इन अपराधों की जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत् अपराधों की जांच के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त कर सकती है, तथा ऐसी शक्तियां मिलने के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे ये शक्तियां प्रदान की गई हैं, को दंड

प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 के 2) के उद्देश्यों के लिए प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा;

14. इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों की जांच सारांश में एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी;

15. जिन मामलों में बंधुआ मजदूरी प्रथा के शिकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए;

16. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) नियम 1976 के नियम 7 के तहत् निम्नलिखित रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है :–

(अ) रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों के नाम और पते वाला रजिस्टर;

(ब) प्रत्येक बंधुआ मजदूर के व्यवसाय, पेशे तथा उसकी आय से संबंधित आंकड़ों को दर्शाने वाला रजिस्टर;

(स) वह रजिस्टर जिसमें बंधुआ मजदूरों द्वारा भूमि, कृषि के लिए मिलने वाले निवेश, हस्तशिल्प एवं संबंधित व्यवसायों में प्रशिक्षण, शहरी एवं गैर–शहरी क्षेत्रों में अलग–अलग ब्याज दर पर रोजगार के लिए कर्ज सहित बंधुआ मजदूरों को मिलने वाले लाभों का विवरण हों, तथा

(द) धारा 6 की उपधारा 6 के तहत् मामलों का विवरण, धारा 8 की उपधारा 2, धारा 9, 16, 17, 18,19 तथा 20 की उपधारा 2 के तहत् मामलों के विवरण वाला रजिस्टर।

17. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दिए गए निर्देशों की भावना के अनुरूप प्रवासी कामगारों से यह पूछा जाना आवश्यक है कि क्या वे अपने मूल स्थान पर पुनर्वास पाना चाहेंगे अथवा उस राज्य में पुनर्वास पाना चाहेंगे जहां वे अपने काम की तलाश में आए हैं। उन्हें केवल अपने मूल राज्य में भेजा नहीं जाएगा जहां जाकर वे मुसीबत में फंस जाएं, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निहित भावना का उल्लंघन होगा;

18. सतर्कता समितियों को एक अनौपचारिक, अपरंपरागत तथा गैर धमकी भरा दृष्टिकोण अपनाते हुए बाहर जाकर क्षेत्र सर्वेक्षण करना होगा। उनसे बैठकर इस काम को करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठकर तथा विवेकपूर्ण जांच कर वे बंधुआ मजदूरों की पहचान कभी नहीं कर पाएंगे;

19. पहचान किए गए तथा रिहा कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को एक हजार रुपए की तत्काल वित्तीय राहत के भुगतान का प्रावधान है। यह वित्तीय सहायता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बंधुआ मजदूरों को अपनी वित्तीय तकलीफों से तत्काल छुटकारा मिलता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तत्काल वित्तीय राहत का भुगतान रिहा कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को किया जाता है;

20. राज्य में चिह्नित किए गए वैसे बंधुआ मजदूरों के संबंध में उनके मूल राज्य में आवासीय पता आदि से संबंधित संपूर्ण विवरण को दर्शाती हुई एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्हें पुनर्वास के लिए उनके मूल राज्य में भेज दिया गया। इस सूची की एक प्रति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ–साथ उन राज्यों के श्रम आयुक्तों को भेजी जानी चाहिए जहां से वे मूल रूप से संबंध रखते हैं;

21. सरकारी विभागों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ भी सम–अभिरूपता होनी चाहिए। इसका अर्थ निम्नलिखित है :–

- अलग–अलग स्रोतों से संसाधनों को इकट्ठा करना;
- एक अर्थपूर्ण, कारगर तथा स्थायी पुर्नवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें कल्पनापूर्वक तथा कौशलपूर्वक एकीकृत करना।

22. समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट/उप–आयुक्त बंधुआ मजदूर तथा बाल मजदूर से संबंधित सभी कार्यों के संबंध में मिल–जुल कर किए जा रहे प्रयासों के केंद्र होंगे।

23. जिला एवं उपमण्डल स्तर के सतर्कता समितियों के गठन को उच्च प्राथमिकता देनी होगी तथा जहां कहीं उनका गठन नहीं हुआ है वहां इस काम को तीव्रता से पूरा किए जाने की जरूरत है। इन समितियों की आवधिक बैठक निर्धारित समय–सीमा के भीतर होनी चाहिए। सतर्कता समितियों को जिन बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास पहले किया जा चुका है उनकी मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने, चिह्नित किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए नए सिरे से योजना बनाने के लिए तथा बंधुआ मजदूर प्रवण क्षेत्रों/उद्योगों आदि की बारीकी से निगरानी शुरू करनी होगी। इन सतर्कता समितियों में गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य सामाजिक सेवा संगठनों के सहयोग एवं उनकी भागीदारी की संभावाना की भी तलाश की जाए ताकि ऐसे संगठनों से प्राप्त सूचना सुधारात्मक कार्रवाई करने में उपयोगी सिद्ध हो सके।

24. जिला मजिस्ट्रेटों को बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 10, 11 तथा 12 के तहत् अधिकार दिया गया है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन के लिए सकारात्मक तथा सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए।

25. गठित की गई सतर्कता समितियों के कार्य करने के वास्तविक तरीके की एक आवधिक समीक्षा होनी चाहिए तथा वैसे सदस्य जो काम नहीं कर रहे हों उनको निकाल कर उनके स्थान पर नए सदस्यों को लेना चाहिए; एक राज्य स्तर की समिति का गठन कर ऐसा किया जा सकता है।

26. बैठकों की न्यूनतम संख्या तथा आवधिक आधार पर सतर्कता समितियों द्वारा कार्यवृत्त एवं सूचना प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए फॉरमेट को अलग अधिसूचना जारी कर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए तथा इन्हें कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

27. दूसरी जगह ले जाए गए बंधुआ मजदूर का अपने मूल स्थान पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिले के जिला समाहर्त्ता को अर्द्ध शासकीय रिहाई आदेश भेजा जाना चाहिए जिसकी एक प्रति महानिदेशक (कल्याण) तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए।

28. बंधुआ मजदूरों के परिवार के शारीरिक एवं आर्थिक पुनर्वास के साथ उनके व्यापक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को हासिल करना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

29. बच्चों की तस्करी दूसरे राज्यों में करने वाले दलालों तथा मध्यस्थों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। राज्य मुख्यालयों में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं तथा रिहाई अभियान में लगे हुए गैर–सरकारी संगठनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उड़न–दस्ता को नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाना चाहिए।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों को सभी संबंधितों को कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाए।

• • •

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस,
कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

सुविधा केन्द्र (मदद) : 011–23385368
मोबाइल नं: 9810298900 (शिकायत के लिए)

फैक्स : (011) : 23386521 (शिकायतें) 23384863 (प्रशासन) /
23382734 (जांच–पड़ताल)
ईमेल: covdnhrc@nic.in (General) / jrlaw@nic.in (Complaints)
वेबसाईट: www.nhrc.nic.in

अपने अधिकार जानें

अपने अधिकार जानें

बंधुआ मजदूर